न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 02/2026
GCMS Case No. 2026/2

सायल–	बनाम	गैरसायल–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		शाहरूख पुत्र श्री फिरोज खां जाति बागवान मुसलमान, निवासी 298, इन्द्रा कॉलोनी, पाली पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी, पाली।
2. गैरसायल स्वंय उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक – 24.02.2026

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 19.12.2025 को गैरसायल शाहरूख पुत्र श्री फिरोज खां जाति बागवान मुसलमान, निवासी 298, इन्द्रा कॉलोनी, पाली पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2021 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 02 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	मुकदमा नम्बर	धारा	फैसला दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	276/02.08.2021	13 आरपीजीओ	193/10.08.2021	100/– रूपये जुर्माना
2	38/23.02.2023	13 आरपीजीओ	17/28.02.2023	250/– रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल शाहरूख पुत्र श्री फिरोज खां जाति बागवान मुसलमान, निवासी 298, इन्द्रा कॉलोनी, पाली पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली निरन्तर दुआ खेलने की प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण में लोक अभियोजन अधिकारीं ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि गैर सायल वर्तमान में किसी प्रकार के जुएं के धन्धे में लिप्त नहीं है तथा उक्त प्रकरण गैर सायल के विरूद्व गलत तरीके से रजिंशवश बनाये गये है। गैर सायल मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है एवं वर्तमान में गैर सायल किसी प्रकार की आपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है, इसलिए गैर सायल के विरूद्व जैर प्रकरण ड्रोप करावें।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 276/2021 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही करते हुए 100 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय गैरसायल के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 38/2023 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही करते हुए 250 रूपये का जुर्माना लगाया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल शाहरूख पुत्र श्री फिरोज खां जाति बागवान मुसलमान, निवासी 298, इन्द्रा कॉलोनी, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत 01 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 11.03.2026 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल शाहरूख पुत्र श्री फिरोज खां जाति बागवान मुसलमान, निवासी 298, इन्द्रा क़ॉलोनी, पाली पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली गैरसायल शाहरूख पुत्र श्री फिरोज खां जाति बागवान मुसलमान, निवासी 298, इन्द्रा कॉलोनी, पाली पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सोजत रोड पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी ट्रांसपोट नगर पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वांपस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत रोड़ जिला पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली